

कार्यालय जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ०प्र० रायबरेली

1- अपने संगठन का विवरण :-

कार्य एवं कर्तव्य :-

- (क) जिला सहकारी बैंक के माध्यम से समितियों को वित्त पोषित कराकर समिति क्षेत्र के सदस्यों/कृषकों को कृषि निवेशों की आपूर्ति अंश क (नकद रूप में) अंश ख (ऋण के रूप में) कराना।
- (ख) समिति द्वारा वितरित ऋणों की वसूली कराना।
- (ग) समिति द्वारा वर्ष दौरान किये गये व्यवसाय के आय व्यय के सम्परीक्षा रिपोर्ट में आयी कमियों का अनुपालन कराना।
- (घ) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये शासन द्वारा निर्धारित दरों पर पी०सी०एफ० द्वारा सहकारी समितियों को क्रय केन्द्र बना कर एवं स्वयं अपने क्रय केन्द्र खोलकर समिति के सदस्यों/कृषकों को उनकी उपज की खरीद कराकर जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से भुगतान कराया जाता है।
- (च) सहकारी समिति अधिनियम 1965, सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं शासन/निबन्धक सहकारी समितियां, उ०प्र० द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन।

2- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं उनके कर्तव्य :-

शासन द्वारा निर्गत कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार निहित हैं। समितियों का निरीक्षण तथा शासन/निबन्धक, द्वारा निर्गत आदेशों का क्रियान्वयन।

3- निर्णय पारित करने की प्रक्रिया में लागू किये जाने वाली प्रक्रिया जिसमें निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व की रीतियां शामिल हैं।

शासन और विभागाध्यक्ष स्तर पर नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं।

4- अपने कार्यों के सम्पादित करने के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड :-

प्रायः सभी कार्यों और आदेशों को लिखित रूप से अपने अधीनस्थों को हस्तगत कराया जाता है और कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के विषय में लिखित रूप में रिपोर्ट ली जाती है। कभी-कभी मौखिक रूप से भी आदेशों को पारित किया जाता है, और उनका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाता है।

5- अपने द्वारा अथवा अपने नियन्त्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू किये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं दस्तावेज -

निम्न प्रयोग किये जाते हैं :-

1- सहकारी समिति अधिनियम 1965

2- सहकारी समिति नियमावली 1968

6- ऐसे अभिलेखों का विवरण जो उसके द्वारा प्राप्त या उनके कब्जे में हैं :-

7- किसी व्यवस्था किसी विशेषतायें जो उस नीति के गठन या उसके कार्यों का सम्पादन जनसामान्य से सुझाव हेतु अथवा उनके आवेदन हेतु उपलब्ध है:-

8- उन बोर्डों परिषदों, सभाओं एवं अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जिनका गठन भागीदारों के रूप में यह सलाह देने

के लिये किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं निकायों की बैठके, नागरिकों के लिए सुलभ होगी अथवा ऐसी बैठकों में विवरण तक उन सामान्य हेतु सुलभ हैं :-

9- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश :-

बिन्दु सं0 2 पर उल्लिखित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाती है।

10- प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन जिसमें लोक नियमों में उल्लिखित प्रतिकर की प्रणाली भी निहित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में

क्र0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन
1	श्री सुखराज सिंह	जिला सहकारी निबन्धक	10000-15200	12275.00
2	.. अमरनाथ यादव	अपर जिला सह0 अधि0	8000-13500	9375.00
3	.. शरद कुमार रायजादा	..	8000-13500	9100.00
4	.. राम स्वरूप	..	6500-10500	7550.00
5	.. रामजी प्रसाद जायसवाल	..	6500-10500	6700.00
6	.. रवीन्द्र सिंह सेंगर	..	6500-10500	6700.00
7	.. शरद कुमार श्रीवास्तव	..	6500-10500	6700.00
8	.. महेन्द्र प्रसाद शुक्ल	..	6500-10500	6500.00
9	.. मुनेश्वर दयाल	जनपद लेखाकार	7450-11500	8800.00
10	.. मनोज कुमार गुप्ता	लेखाकार	7450-11500	8350.00
11	.. रामेश्वर मिश्र	..	5000-8000	7100.00
12	.. जगत बहादुर सिंह	..	5000-8000	7100.00
13	.. शिवलाल यादव	सहकारी नि0 वर्ग-2	6500-10500	6700.00
14	.. संजय कुमार मौर्य	..	4500-7000	6250.00
15	.. कृष्ण प्रकाश निगम	..	4500-7000	5750.00
16	.. सूर्य प्रकाश सिंह	ग्राम सेवक (कृषि)	4500-7000	5625.00
17	.. शीतला प्रसाद पाल	सह0 कृषि पर्य0	6500-10500	6500.00
18	.. महेश प्रसाद	..	3200-4900	3710.00
19	.. अशोक श्रीवास्तव	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	4800.00
20	.. कुसुम चन्द्र यादव	व0लि0 (पीसीयू)	4000-6000	5600.00
21	.. जावेद अख्तर	उर्दू अनुवादक	3050-4590	4030.00
22	.. सुखलाल सिंह	क0लि0 (संग्रह)	4000-6000	4900.00
23	.. मो0 एजाज	जीप चालक (संग्रह)	4000-6000	4600.00
24	.. राजेश कुमार मिश्र	सहयोगी	2550-3380	3320.00
25	.. सुरेश कुमार	..	2550-3380	3260.00

11- सभी योजनाओं में प्रस्तावित खर्च एवं खर्चों पर रिपोर्ट की विशेषतायें प्रदर्शित करते हुए अपने हर अभिकरण को प्रदान किया गया बजट :-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्न मदों में उसके सम्मुख लिखित धनराशि का आवंटन किया गया है :-

क्र0सं0	मद संख्या व नाम	आवंटित धनराशि
1	01-वेतन	1703000.00
2	03-मंहगाई भत्ता	866000.00
3	50-मंहगाई वेतन	856000.00

4	04-यात्रा व्यय	4000.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-
6	06-अन्य भत्ता	93000.00
7	08-कार्यालय व्यय	1500.00
8	09-विद्युत व्यय	-
9	11-लेखन सामग्री	1500.00
10	13-टेलीफोन पर व्यय	12000.00
11	16-विधिक व्यय	100.00
12	44-प्रशिक्षण यात्रा व्यय	13160.00
	योग	3550260.00

- 12- अनुदान कार्यक्रम के निष्पादन की रीति जिनमें प्रदान की गयी धनराशि एवं इन कार्यक्रमों के लाभकारियों के विवरण शामिल हैं :- ः
- 13- अपने द्वारा दी गयी अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों एवं प्राधिकारियों प्राप्त कर्ताओं की विशेषतायें एवं विवरण :- ः
- 14- ऐसे इलेक्ट्रानिक सूचना के सम्बन्ध में विवरण जो उसको उपलब्ध हो अथवा उनके अधीन हो :- ः
- 15- सूचना को प्राप्त करने के लिये जनता को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसके अन्तर्गत किसी पुस्तक, कक्ष या वाचन कक्ष के वह काम के घन्टे शामिल है, यदि वह पुस्तकालय जन उपयोग के लिये सुरक्षित रूप में है :- ः
- 16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विवरण :-

विभाग का नाम	नामित जनसूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी	पदनाम एवं पता	दूरभाष कार्यालय	अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय
सहकारिता विभाग कार्यालय जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ०प्र० रायबरेली	जन सूचना अधिकारी	जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ०प्र० रायबरेली	2204026	-	-
	सहायक जनसूचना अधिकारी	अपर जिला सहकारी अधिकारी (उपभोक्ता)	2204026	-	-

- 17- ऐसी अन्य सूचना जो निहित हो को प्रकाशित किया जायेगा और इन प्रकाशनों को हर साल अद्यतन किया जायेगा :- ः